

08-04-21

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपर है।
वकील पक्षकारण द्वारा गत पेशी पर प्रस्तुत
बहुम एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के
अवलोकन, मजमूके उपरोक्त वकील पक्षकारण
द्वारा प्रस्तुत गए एवं अंकित 0-7, R-11 जाते
दिने स्वीकार किया जाता है। यदि वादीगण
वाकिल विधानन आदेशों व स्थायी विधेधारा
अ. धा. 53 व 188 राज. महल. अधिनियम
का अनुसरण करते हैं। किस्त
निर्णय पृथक से दिये जाकर शाखित
सिद्ध हो। पत्रावली केसल सुधार होकर
वैकल्प से कम होकर दाखिल दफ्तर है।
निर्णय से इजलास सुनाना जाकर, निश्चय
जाकर मेरे दस्तावेज व व्याख्यान सुनाने
जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर

साँभर लोक

